राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –2702 व 2703/2011/बीकानेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर। .....अपीलार्थी

बनाम्

गैसर्स मारवाड़ मोटर्स प्रा.लि., बीकानेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोकरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.के.पारीक,
श्री श्याम पारीक,
अभिभाषकगण। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12.09.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त दोनों अपीले उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स), बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 29.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो क्रमशः अपील संख्या 260 व 259/आरवेट/2010–11 के संबंध में है तथा जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25 व 61 के तहत् पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 30.08.2010 के जरिये क्रमशः निर्धारण वर्ष 2010–11 व 2009–10 में कायम की गयी मांग राशियों में से अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्तियों क्रमशः रू. 25,512/– व रू.93,190/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. चूंकि दोनों विवादित अपीलों के बिन्दु सादृश्य हैं अतः इनका निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.08.2010 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह पाया कि अपीलार्थी गैसर्स टाटा मोटर लि. से वाहन क्रय कर ग्राहकों को विक्रय करता है। सक्षम अधिकारी द्वारा जांच के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी

द्वारा ग्राहकों को जारी कोटेशन्स व जारी इन्वॉयसेज के अवलोकन पर यह पाया कि जारी कोटेशन्स में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ग्राहकों से प्रति वाहन रू. 1,000/– 'Logistic Charges' के नाम से अलग से वसूल किये जाते हैं जिसमें वाहन के विक्रय पूर्व खर्च जैसे–गोदाम में वाहन रखने का खर्च, इन्शयोरेन्स, विक्रय पूर्व वाहन का रख रखाव तथा इसमें विक्रेता कम्पनी से अपीलार्थी व्यवहारी के गोदाम तक वाहन का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज आदि का खर्चा शामिल होता है। उक्त वसूल किये गये 'Logistic Charges' पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में किसी प्रकार का कोई वैट वसूल नहीं किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी ने उक्त वसूल किये गये 'Logistic Charges' को अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के तहत् विक्रय मूल्य का भाग होना अवधारित कर, उक्त कृत्य को करापवंचन का होना मानकर, प्रकरणों को अग्रिम कार्यवाही हेतु अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज अभियोग के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधियों के लिये अधिनियम की धारा 25 व 61 के तहत् नोटिसेज जारी किये गये। जारी नोटिसेज की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किये गये । जिसे अस्वीकार कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों में कर व अधिनियम की धारा 61 के तहत् कर अपवंचन के अपराध में कर की दोगुना शास्ति आरोपित कर, पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 30.08.2010 पारित किये गये। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष पृथक्–पृथक् अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये पृथक–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 29.07.2011 के प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा कायम कर की मांग राशियों को यथावत रख, अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्तियों को अपास्त कर, प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गयी । जिनसे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

5. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उक्त विवादित बिन्दु पर पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन

लगातार.....3

किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीखात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:–

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)

(ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)

(iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस. टी.सी. 238 (राज.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन. टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226/2009 से 229/2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)

(v) मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.)

(vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)

(vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

(viii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]

(ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)

(x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी,

लगातार.....4

वृत—ए, गिवाडी, अपील क्रमांक 1437/2009 से 1439/2009/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत—तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी—139,रोड़ नम्बर—12, वी.के. आई.ए.,जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073/2010/जयपुर, 1305 से 1308/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xii)मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन—तृतीय, जयपुर अपील कमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

7. इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है । लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है । अतः उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में उक्त विवादित बिन्दु पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है । लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी

9. परिणामतः, दोनों अपील अस्वीकार की जाती है ।

10. निर्णय सुनाया गया।

12.9.14
(मदन लाल)